भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2346

उत्तर देने की तारीख : 13.03.2025

ऋण गारंटी कवर में वृद्धि

2346. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
डॉ. भोला सिंह:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
श्री राधेश्याम राठिया:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्रीमती शोभनाबेन मेहन्द्रसिंह बारैया:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के पश्चात् किस प्रकार छोटे व्यवसायों के लिए निर्बाध वितरण और ऋण तक सुगम पहुंच को राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और विशेष रूप से हाथरस के उद्यमियों के लिए सुनिश्चित करेगी;

(ख) क्या सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा विस्तारित ऋण गारंटी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा विस्तारित ऋण गारंटी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या तंत्र उपलब्ध हैं;

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न एमएसएमई क्षेत्रों/खंडों को ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है;

(ङ) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(च) क्या हाथरस में छोटे व्यवसायों के लिए इस बारे में कोई विशेष प्रावधान है;

(छ) हाथरस जिले में उक्त योजना के प्रभाव का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ज) छत्तीसगढ़ में एमएसएमई के लिए प्रस्तावित बढ़ी हुई ऋण गारंटी और बजट आवंटन का भाग कितना है और सहायता के लिए ध्यान दिए जाने के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : बजट 2025-26 में क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के तहत क्रेडिट गारंटी की अधिकतम सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) देश भर में अपने सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा या तृतीय पक्ष की गारंटी के सीजीएस के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए जाने वाले ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करता है। सीजीटीएमएसई, परिपत्रों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एमएसई को सूचित करता है।

(ग) : भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता वाली एमएसएमई संबंधी अधिकार प्राप्त समिति इस योजना के तहत एमएलआई द्वारा अनुमोदित/वितरित ऋणों की निगरानी करती है। यह राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कार्यसूची में भी शामिल है।

(घ) से (ज) : केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य और हाथरस जिले सहित देश में, राज्य/संघ राज्य- क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों में अपनी विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने में सहायता प्रदान करती है, जिसमें अन्य सहायता के साथ-साथ सीजीएस भी शामिल है। जैसा कि बजट 2025-26 में घोषणा की गई है, 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण को दिनांक 01.04.2025 से शुरू होकर आगामी 5 वर्ष में कवर किया जाना है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में हाथरस जिले में अनुमोदित गारंटियों का विवरण निम्नानुसार है:

सीजीटीएमएसई-गारंटी अनुमोदित - हाथरस		
वित्त वर्ष	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)**
वित्त वर्ष 2021-22	292	24
वित्त वर्ष 2022-23	432	47
वित्त वर्ष 2023-24	1,112	130
वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.02.2025 तक)	1,533	144

*****